

संख्या- 1548 /15-7-04-16 1/2004

प्रमाण,

**श्री प्रकाश कुमार
श्री प्रकाश कुमार
श्री प्रकाश कुमार**

नेवा में,

**श्री प्रकाश कुमार
श्री प्रकाश कुमार
श्री प्रकाश कुमार**

शिक्षा 17: अनुभाग

तखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर 2004

विषय:-

श्री प्रकाश कुमार का प्रस्तावित विद्यालय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **श्री प्रकाश कुमार** नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अन्यायित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रातिबंधों के अधीन आगति नहीं है :-

- 1.11 विद्यालय की प्रंजीकृत तोसायटी का सम्य-तम पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 1.21 विद्यालय की प्रबंध सभिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 1.31 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद/बैलिक शिक्षा परिषद द्वारा संयानित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 1.41 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय आध्यात्मिक शिक्षा परिषद अथवा बैलिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय आध्यात्मिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि. अंग्लो-मैगू सदी फिदेल् डकजा निषिप्त नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0मा0ध्यात्मिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

F. Timothy Principal 2-

F. Timothy
St. Anthony's School,
Tatarpur, Hapur
(Gh. 20004)

ST. Anthony's School Tatarpur
Babugarh-245201
Distt. Ghaziabad

- 15: संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के तलबे तलमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 16: कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निकृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 19: उक्त शर्तों में राज्य सरकार के मूवामुदत के बिना कोई परिवर्तन/तंशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

श्री प्रमुख गुरु :
श्री प्रमुख गुरु :

सू०सं०स्वं दिनपंक त्दैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- माडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **प्रमुख :**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **प्रमुख :**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ।
- 5- **प्रबंधक, श्री प्रमुख गुरु, बबुगार, प्रमुख, प्रमुख :**
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा में
श्री प्रमुख गुरु :
श्री प्रमुख गुरु :

F Timothy
MANAGER
ST. ANTHONY'S SCHOOL
TATARPU, B
DISTT. GHAZIABAD (Principal)

F Timothy
Manager
St. Anthony's School
Tatarpu, Hapur

ST. Anthony's School Tatarpu
Babugarh-2012
Distt. Ghaziabad

प्रेषक,

श्री. प्रकाश प्रसाद
विद्यालय
राज्य प्रयोगशाला

सेवा में,

श्री. अनापत्ति प्रमाण पत्र
विद्यालय
राज्य प्रयोगशाला

शिक्षा 17 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर 2004

विषय:-

श्री. प्रकाश प्रसाद का राज्य प्रयोगशाला से संबद्धता प्रमाण पत्र
के अभाव में उपायान्वेषण का दिनांक 21 अक्टूबर 2004

महोदय,

उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सुझाव कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सोसायटी का सभ्य-सभ्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- § 5§ संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से व वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- § 6§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- § 7§ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- § 8§ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- § 9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

• श्री प्रकाश प्रकाश •
• श्री प्रकाश प्रकाश •

पू०सं०स्व० दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~उत्तर प्रदेश~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~उत्तर प्रदेश~~ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, ~~उत्तर प्रदेश~~ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा में
• श्री प्रकाश प्रकाश •
• श्री प्रकाश प्रकाश •